

भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ

एफ. संख्या 7/24/2025-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 28.01.2026

संशोधन अधिसूचना

विषय: चीन जनवादी गणराज्य से उत्पन्न अथवा वहां से निर्यातित "कटिंग, अंकन या वेल्डन हेतु प्रयुक्त औद्योगिक लेज़र मशीनों" के आयात पर पाटनरोधी शुल्क जाँच के अंतर्गत अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना सं. 06/07/2022-डीजीटीआर में उत्पादक/निर्यातक के नाम को बायस्ट्रॉनिक (शेन्ज़ेन) लेज़र टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड से बदलकर डीएनई लेज़र (गुआंगडोंग) कंपनी लिमिटेड किए जाने के संबंध में।

समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) तथा सीमा शुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, मूल्यांकन एवं पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण तथा क्षति निर्धारण हेतु संग्रह) नियम, 1995 (जिसे आगे "नियम" कहा गया है) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए—

क. पृष्ठभूमि

1. व्यापार उपचार महानिदेशालय (जिसे आगे "प्राधिकरण" कहा गया है) ने चीन जनवादी गणराज्य से उत्पन्न या वहां से निर्यातित कटिंग, अंकन अथवा वेल्डन हेतु प्रयुक्त औद्योगिक लेज़र मशीनों (जिसे आगे "विचारणाधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जाँच संचालित की तथा दिनांक 27.09.2023 को वाद सं. एडीडी- ओआई-07/2022 में अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना जारी की। केंद्र सरकार ने प्राधिकरण द्वारा अनुशंसित शुल्क को सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 15/2023-कस्टम्स (एडीडी) दिनांक 22.12.2023 द्वारा अधिरोपित किया।

2. मूल जाँच के दौरान बायस्ट्रॉनिक (शेन्ज़ेन) लेज़र टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, बायस्ट्रॉनिक (तिआनजिन) लेज़र लिमिटेड तथा बायस्ट्रॉनिक लेज़र एजी ने बायस्ट्रॉनिक समूह के रूप में भाग लिया था तथा समूह के लिए सहयोगी दर निर्धारित की गई थी।
3. प्राधिकरण को डीएनई लेज़र (गुआंगडोंग) कंपनी लिमिटेड, पूर्व नाम बायस्ट्रॉनिक (शेन्ज़ेन) लेज़र टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, से नाम परिवर्तन हेतु विधिवत समर्थित आवेदन प्राप्त हुआ, जो व्यापार सूचना सं. 12/2018 दिनांक 17 सितम्बर 2018 के अनुरूप दायर किया गया। आवेदक ने सूचित किया कि 11 अगस्त 2025 से कंपनी का नाम परिवर्तित किया गया है तथा यह परिवर्तन मात्र अभिलेखीय प्रकृति का है, जिसमें स्वामित्व, शेयरधारिता संरचना, प्रबंधन, मुख्य गतिविधियाँ, विधिक स्थिति, उत्पादन सुविधाएँ, परिचालन, विधिक पहचान, एकीकृत सामाजिक ऋण संहिता अथवा पंजीकृत पते में कोई परिवर्तन सम्मिलित नहीं है।
4. आवेदन के साथ पंजीकरण प्रमाणपत्र, नाम परिवर्तन से पूर्व एवं पश्चात व्यापार अनुज्ञप्ति, अंशधारक विवरण, संघ उपविधियाँ तथा चीन सरकार द्वारा निर्गत वैधानिक अभिलेख संलग्न किए गए।

ख. प्रक्रिया

5. व्यापार सूचना सं. 12/2018 के अनुसार, प्राधिकरण ने दिनांक 16 दिसम्बर 2025 के ई-पत्र के माध्यम से नाम परिवर्तन आवेदन का गैर-गोपनीय संस्करण मूल जाँच में भाग लेने वाले सभी पंजीकृत हितधारकों को प्रेषित किया तथा नाम परिवर्तन आवेदन पर टिप्पणियाँ/आपतियाँ प्रस्तुत करने हेतु सभी हितधारकों को 10 दिवस का समय प्रदान किया।
6. निर्धारित समयावधि के भीतर किसी भी हितधारक से कोई टिप्पणी अथवा आपति प्राप्त नहीं हुई। अतः इस विषय में मौखिक सुनवाई आयोजित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

ग. आवेदक के प्रस्तुतीकरण

7. आवेदक ने अपना नाम बायस्ट्रॉनिक (शेन्ज़ेन) लेज़र टेक्नोलजी कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे “बायस्ट्रॉनिक” कहा गया है) से बदलकर डीएनई लेज़र (गुआंगडोंग) कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे “डीएनई” कहा गया है) 11 अगस्त 2025 से प्रभावी रूप से परिवर्तित किया। नाम परिवर्तन का उद्देश्य कंपनी के वैश्विक व्यवसाय विस्तार एवं ब्रांड उन्नयन को प्राप्त करना था। वर्तमान नाम परिवर्तन केवल इकाई के नाम में साधारण परिवर्तन है, जिसमें इकाई की विधिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। कंपनी ने नाम परिवर्तन की घोषणा 18 अगस्त 2025 को की। नाम परिवर्तन हेतु आवेदन 7 नवम्बर 2025 को सेतु पोर्टल पर व्यापार सूचना सं. 12/2018 में निर्दिष्ट 90 दिवस की अवधि के भीतर दायर किया गया।
8. नाम परिवर्तन के पश्चात कंपनी के अंशधारकों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जैसा कि विगत तीन वर्षों के वित्तीय विवरणों, संघ उपविधियों तथा अंशधारकों के विवरण से परिलक्षित होता है।
9. नाम परिवर्तन से पूर्व एवं पश्चात चीन सरकार द्वारा जारी व्यापार अनुज्ञप्ति में समान एकीकृत सामाजिक ऋण संहिता तथा इकाई का वही पता उल्लिखित है। चीन में प्रत्येक विधिक इकाई को पृथक एकीकृत सामाजिक ऋण संहिता (यूएससीसी) प्रदान की जाती है। बायस्ट्रॉनिक (शेन्ज़ेन) तथा डीएनई, दोनों के लिए उक्त संहिता एवं पता समान हैं।
10. नाम परिवर्तन के पश्चात, डीएनई पूर्व में बायस्ट्रॉनिक द्वारा संचालित सभी व्यावसायिक एवं विनिर्माण गतिविधियाँ यथावत संचालित कर रहा है। विद्यमान विनिर्माण स्थलों एवं व्यावसायिक कार्यालयों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बायस्ट्रॉनिक को प्रदान किए गए सभी विधिक अधिकार, दायित्व एवं रियायतें डीएनई के साथ पूर्ण प्रभाव एवं बल में विद्यमान हैं तथा नाम परिवर्तन से प्रभावित नहीं होंगी।
11. डीएनई विषय वस्तु का दीर्घकालीन उत्पादक है तथा नाम परिवर्तन के पश्चात भी विषय वस्तु का उत्पादन जारी रखे हुए है। समूह की अन्य दो इकाइयों के नाम, स्वामित्व अथवा परिचालन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तथा समूह समग्र रूप से अपरिवर्तित

है। नाम परिवर्तन के पश्चात भी तीनों कंपनियाँ पूर्ववत् उसी परम मूल स्वामी के अधीन हैं।

12. निर्यातक ने पुष्टि की है कि यह मात्र प्रक्रियात्मक परिवर्तन है, जिसका बाज़ार की गतिशीलता पर कोई प्रभाव नहीं है, और पाटनरोधी शुल्क नई इकाई पर निर्बाध रूप से लागू रहना चाहिए।

घ. प्राधिकरण द्वारा परीक्षण

13. आवेदक के प्रस्तुतीकरणों का परीक्षण निम्नानुसार किया गया है:
14. व्यापार सूचना सं. 12/2018 के प्रावधानों के अनुसार, किसी इकाई के नाम परिवर्तन हेतु आवेदन, नाम परिवर्तन प्रभावी होने की तिथि से 90 दिवस के भीतर दायर किया जाना अपेक्षित है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों से स्पष्ट है कि नाम परिवर्तन 11 अगस्त 2025 से प्रभावी हुआ तथा इसकी घोषणा 18 अगस्त 2025 को की गई। वर्तमान आवेदन 7 नवम्बर 2025 को सेतु पोर्टल के माध्यम से दायर किया गया। अतः यह आवेदन व्यापार सूचना सं. 12/2018 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर दायर किया गया है।
15. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान आवेदन इकाई के नाम में मात्र साधारण परिवर्तन से संबंधित है, जिसमें स्वामित्व, विधिक स्थिति, अंशधारिता, व्यावसायिक गतिविधियाँ, पता तथा एकीकृत सामाजिक ऋण संहिता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अपने इस कथन के समर्थन में आवेदक ने निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत किए हैं:
- क. बायस्ट्रॉनिक (शेन्ज़ेन) लेज़र टेक्नोलजी कंपनी लिमिटेड द्वारा कंपनी का नाम डीएनई लेज़र (गुआंगडोंग) कंपनी लिमिटेड में परिवर्तित करने के अनुरोध संबंधी आवेदन, जो शेन्ज़ेन बाज़ार पर्यवेक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के समक्ष दायर किया गया।
- ख. दिनांक 11 अगस्त 2025 का पंजीकरण सूचना पत्र, जो शेन्ज़ेन बाज़ार पर्यवेक्षण प्रशासन द्वारा डीएनई लेज़र (गुआंगडोंग) कंपनी लिमिटेड को जारी किया गया।

- ग. नाम परिवर्तन के पश्चात दिनांक 11 अगस्त 2025 की व्यापार अनुज्ञप्ति, जो शेन्जेन बाज़ार पर्यवेक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी तथा राज्य बाज़ार पर्यवेक्षण प्रशासन के अधीक्षण में निर्गत की गई।
 - घ. नाम परिवर्तन से पूर्व दिनांक 16 जून 2025 की व्यापार अनुज्ञप्ति, जो शेन्जेन बाज़ार पर्यवेक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी तथा राज्य बाज़ार पर्यवेक्षण प्रशासन के अधीक्षण में निर्गत की गई।
 - ङ. 31 दिसम्बर 2024 को समाप्त वर्ष हेतु बायस्ट्रॉनिक एजी की वार्षिक प्रतिवेदन।
 - च. 30 जून 2025 को समाप्त अर्धवार्षिक अवधि तक का बायस्ट्रॉनिक एजी का अर्धवार्षिक प्रतिवेदन।
 - छ. बायस्ट्रॉनिक (तिआनजिन) लेज़र लिमिटेड के अंशधारक संबंधी जानकारी, जो तिआनजिन बाज़ार पर्यवेक्षण प्रशासन द्वारा निर्गत की गई।
 - ज. दिनांक 9 अक्टूबर 2025 की डीएनई लेज़र (गुआंगडोंग) कंपनी लिमिटेड की अंशधारक जानकारी, जो शेन्जेन बाज़ार पर्यवेक्षण प्रशासन द्वारा निर्गत की गई।
 - झ. 31 दिसम्बर 2024 को समाप्त वर्ष हेतु बायस्ट्रॉनिक (शेन्जेन) लेज़र टेक्नोलजी कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण एवं लेखापरीक्षक प्रतिवेदन।
 - ञ. 31 दिसम्बर 2023 को समाप्त वर्ष हेतु बायस्ट्रॉनिक (शेन्जेन) लेज़र टेक्नोलजी कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण एवं लेखापरीक्षक प्रतिवेदन।
 - ट. 31 दिसम्बर 2022 को समाप्त वर्ष हेतु बायस्ट्रॉनिक (शेन्जेन) लेज़र टेक्नोलजी कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण एवं लेखापरीक्षक प्रतिवेदन।
 - ठ. दिनांक 25 जून 2021 की संशोधित एवं पुनर्स्थापित संघ उपविधियाँ।
 - ड. दिनांक 18 अगस्त 2025 का कंपनी नाम परिवर्तन संबंधी घोषणा पत्र, जो डीएनई लेज़र (गुआंगडोंग) कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी किया गया।
 - ढ. दिनांक 18 अगस्त 2025 का कंपनी नाम परिवर्तन संबंधी घोषणा पत्र, जो बायस्ट्रॉनिक (शेन्जेन) लेज़र टेक्नोलजी कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी किया गया।
16. प्राधिकरण ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त सभी अभिलेखों का परीक्षण किया है।
17. यह पाया गया कि आवेदक ने प्रचलित विधियों के अनुसार आवश्यक आवेदन शुल्क का भुगतान करने के पश्चात निर्धारित प्रपत्र में अपने नाम परिवर्तन हेतु आवेदन शेन्जेन बाज़ार पर्यवेक्षण प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किया। आवेदक ने अपने आवेदन प्रपत्र की

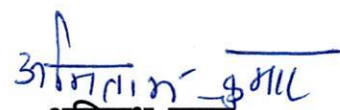
प्रति उपलब्ध कराई है। उक्त आवेदन प्रपत्र में इकाई का विवरण, अंशधारकों के नाम, इकाई का पता, एकीकृत सामाजिक ऋण संहिता तथा प्रस्तावित नाम परिवर्तन का उल्लेख है। प्राधिकरण यह भी उल्लेख करता है कि नाम परिवर्तन संबंधी आवेदन कंपनी के विधिक प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित था।

18. प्राधिकरण संज्ञान में लाता है कि दिनांक 11 अगस्त 2025 को शेन्ज़ेन बाज़ार पर्यवेक्षण प्रशासन ने इकाई का नाम बायस्ट्रॉनिक (शेन्ज़ेन) लेज़र टैकनोलजी कंपनी लिमिटेड से डीएनई लेज़र (गुआंगडोंग) कंपनी लिमिटेड में परिवर्तन को अनुमोदित किया। अनुमोदन की प्रति, उसके अंग्रेज़ी अनुवाद सहित, आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसका परीक्षण प्राधिकरण ने किया है।
19. प्राधिकरण ने वर्ष 2024, 2023 एवं 2022 के लिए बायस्ट्रॉनिक (शेन्ज़ेन) लेज़र टैकनोलजी कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों तथा डीएनई लेज़र (गुआंगडोंग) कंपनी लिमिटेड के नाम से शेन्ज़ेन बाज़ार पर्यवेक्षण प्राधिकरण द्वारा निर्गत नवीनतम अंशधारक जानकारी का परीक्षण किया। यह पाया गया कि वार्षिक प्रतिवेदनों में उल्लिखित अभिदत्त पंजीकृत पूंजी तथा अंशधारक विवरण, नवीनतम अंशधारक जानकारी में उल्लिखित विवरण के समान हैं।
20. प्राधिकरण ने इकाई की संशोधित संघ उपविधियों का भी परीक्षण किया, जिसमें उपविधियों के अनुच्छेद 5 में इकाई के नाम को बायस्ट्रॉनिक (शेन्ज़ेन) लेज़र टैकनोलजी कंपनी लिमिटेड से बदलकर डीएनई लेज़र (गुआंगडोंग) कंपनी लिमिटेड दर्शाया गया है।
21. प्राधिकरण ने शेन्ज़ेन बाज़ार पर्यवेक्षण प्रशासन द्वारा जारी व्यापार अनुज्ञप्ति की तुलना नाम परिवर्तन से पूर्व बायस्ट्रॉनिक (शेन्ज़ेन) लेज़र टैकनोलजी कंपनी लिमिटेड तथा नाम परिवर्तन के पश्चात डीएनई लेज़र (गुआंगडोंग) कंपनी लिमिटेड को जारी अनुज्ञप्तियों से की। यह पाया गया कि दोनों अनुज्ञप्तियों में उल्लिखित एकीकृत सामाजिक ऋण संहिता तथा पता समान हैं। प्राधिकरण उल्लेख करता है कि एकीकृत सामाजिक ऋण संहिता चीन सरकार द्वारा विधिक इकाइयों को प्रदान की जाने वाली संहिता है, तथा प्रत्येक विधिक इकाई की पृथक संहिता होती है।

22. प्राधिकरण यह भी संज्ञान में लाता है कि आवेदक ने कहा है कि समूह की अन्य दो इकाइयों तथा समूह समग्र में नाम, स्वामित्व अथवा परिचालन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
23. प्राधिकरण द्वारा किए गए अभिलेख परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि अंशधारक, अंश पूंजी, स्वामित्व, प्रबंधन, विधिक स्थिति एवं इकाई की संरचना नाम परिवर्तन से पूर्व एवं पश्चात समान हैं।
24. प्राधिकरण यह उल्लेख करता है कि वर्तमान आवेदन इकाई के नाम में मात्र साधारण परिवर्तन से संबंधित है, जिसमें विधिक स्थिति, स्वामित्व, अंशधारिता आदि में कोई परिवर्तन नहीं है। अतः यह आवेदन व्यापार सूचना सं. 12/2018 के प्रावधानों के अंतर्गत पूर्णतः आता है। तदनुसार, प्राधिकरण यह मानता है कि शुल्क तालिका में इकाई के नाम में परिवर्तन व्यापार सूचना सं. 12/2018 में निर्दिष्ट सरलीकृत प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है।
25. प्राधिकरण यह भी उल्लेख करता है कि उक्त अनुरोध के विरुद्ध घरेलू उद्योग या किसी अन्य हितधारक द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। उक्त व्यापार सूचना के अनुच्छेद 5(व) में यह उपबंध है कि प्राधिकरण आवेदन प्राप्ति की तिथि से 30 दिवस के भीतर मौखिक सुनवाई आयोजित कर सकता है। तथापि, चूंकि किसी भी हितधारक से कोई टिप्पणी अथवा आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि यह मात्र नाम परिवर्तन का मामला है, अतः मौखिक सुनवाई आयोजित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।
26. तदनुसार, प्राधिकरण द्वारा अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना सं. 06/07/2022-डीजीटीआर दिनांक 27.09.2023 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:

शुल्क तालिका के क्रम सं. 5 पर उत्पादक का नाम “बायस्ट्रॉनिक (शेन्जेन) लेज़र टेक्नोलजी कंपनी लिमिटेड” के स्थान पर “डीएनई लेज़र (गुआंगडॉंग) कंपनी लिमिटेड” पढ़ा जाए।

27. तदनुसार, प्राधिकरण उपर्युक्त नाम परिवर्तन को अधिसूचना सं. 15/2023-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 22 दिसम्बर 2023 में भी सम्मिलित किए जाने की अनुशंसा करता है।
28. इस अधिसूचना के विरुद्ध अपील अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (सीईएसटीएटी) के समक्ष की जा सकेगी।


अमिताभ कुमार
निर्दिष्ट प्राधिकारी